क्रमांक 16/9/3 जी0 एस0-II-79

प्रषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (ना) ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अप्रैल, 1979 ।

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत बीमा राशि की सुविधा प्रदान करने बारे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5093-3 जी0 एस0-II-75, दिनांक 30-4-75 के साथ प्रेषित किए गए हरियाणा स्टेट इम्पलाईज ग्रुप इंशोरैंस स्कीम रूल्ज, 1975 के नियम 2 (डी) के साथ पठित रूल 12 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पैरा में निहित उपबंध अनुसार मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार सदस्यों को बीमा राशि की अदायगी किये जाने की व्यवस्था है । वर्तमान प्रणाली में अधिकाधिक सरलता एवं एकरूपता लाने की दृष्टि से मामले का पुनिनिरीक्षण किया गया है और तत्पश्चात् सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में स्कीम के नियम 2 (डी) के अनुसार सभी नियमित कर्मचारियों से उनके लाभ प्राप्तकर्ता (beneficially) का नामांकन प्राप्त कर लिया जावे ताकि किसी कर्मचारी के मरणोपरान्त उसके नामांकित परिवार सदस्य को बीमा राशि बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जा सके । लाभ प्राप्तकर्ता (nominee) की अनुपलब्धि में स्कीम के रूल 12 में अंकित क्रमानुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा ।

2. आपसे निवेदन है कि ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत सभी नियमित कर्मचारियों से निर्धारित फार्म (प्रतियां संलग्न) में नामांकन प्राप्त करके अपने रिकार्ड में रख लिया जाये और भविष्य में मृतक द्वारा दिये गये नामांकन के अनुसार ही बीमा राशि दिलाने हेतु इस विभाग को प्रस्ताव भेजा जाये ।

3. कृपया इन हिदायतों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाये और इस पत्र की पावती भी भेजी जाये ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव न्यायाचार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

क्रमांक 1410-5 जी0 एस0 –II––75/9268

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 3 अप्रैल, 1975

विषय :– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान व अन्य सुविधाएं देना––मकान किराया भत्ता की अदायगी ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 9054-4 जी एस0 70/32230, दिनांक 22 दिसम्बर 1970 तथा परिपत्र क्र0 8541-3 जी0 एस0 –II– 72/791, दिनांक 9 जनवरी, 1973 की ओर दिलाने का निदेश हुआ है जिनमें मृतक के परिवार को एक वर्ष तक सरकारी मकान रखने की तथा अन्य केसों में मृतक कर्मचारी को जो मकान किराया भत्ता मिलता था, वह परिवार को एक वर्ष के लिये दिए जाने की सुविधा प्रदान की गई थी। इन अनुदेशों में यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस संबंध में जो व्यय होगा वह उसी व्यय के शीर्ष से दिया जाएगा जहां से मृतक कर्मचारी मृत्यु से पहले वेतन प्राप्त कर रहा था। इस मामले पर पुनः विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी के परिवारों को देय मकान किराया भत्ता का व्यय अब बजट शीर्ष "288––सोशल सैक्यूरिटी फंड वैलफेयर (नान प्लानों) ई–II अन्य प्रोग्रामज-7-मृतक कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान" व अन्य सुविधाएं देने से ही पूरा किया जाएगा। इस बा में सभी विभागाध्यक्षों को D.D.O. घोषित करने के लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस संबंध में व्यय के आंकड़े मासिक विवरण द्वारा इस विभाग को नियमित रूप से भेजे जाएं ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ताक्षर,
अवर सचिव, न्यायाचार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।